Neutral Citation
2021:CGHC:9386

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

**आपराधिक अपील क्रमांक 889 वर्ष 2006**

निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि : 23.3.2021

निर्णय घोषित किए जाने की तिथि : 24.5.2021

दिवाकर प्रसाद गौतम, पुत्र स्वर्गीय महेश प्रसाद गौतम, आयु लगभग 45 वर्ष, व्यवसाय सेवा, वरिष्ठ ओवरमैन/डिस्पैच इंचार्ज, रोड सेल कार्यालय, गेवरा परियोजना, एस.ई.सी.एल., गेवरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

**––अपीलार्थी**

**विरूद्ध**

भारत संघ द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जबलपुर (म.प्र.)

**––उत्तरवादी**

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

अपीलार्थी के लिए : श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता

उत्तरवादी के लिए : श्री रमाकांत मिश्रा, सहायक सॉलिसिटर जनरल

---

**माननीय न्यायाधिपति श्री अरविंद सिंह चंदेल**

**सी.ए.वी. निर्णय**

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 4/2004 में दिनाँक 8.12.2006 को घोषित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया गया है, किन्तु उसे अधिनियम की धारा 7 के तहत ही निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया गया है:

| दण्डादेश | |
|---|---|
| भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत | 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 5000/– रुपये का अर्थदण्ड, व्यतिक्रम की शर्त के अधीन |

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सुसंगत समय पर अपीलकर्ता साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) गेवरा में वरिष्ठ ओवरमैन/लोडिंग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था। शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) कोयला उठाने का व्यवसाय करता था। डिलीवरी आदेश (एक्स.पी 5) दिनाँक 8.5.2001 के अनुसार, फर्म पीयूष टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद को 45 दिनों के भीतर एसईसीएल से ग्रेड ई–स्टीम का 275 मीट्रिक टन कोयला उठाना था। पीयूष टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद ने शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) को एक्स.पी 15 के तहत उस कोयले को उठाने के लिए अधिकृत किया था। दिनांक 12.5.2001 को शिकायतकर्ता बृजेश सिंह ने सी.जी.एम., गेवरा के कार्यालय में कोयला उठाने से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया। दिनांक 13.5.2001 के निर्देशानुसार शिकायतकर्ता बृजेश सिंह ने अपीलकर्ता से मुलाकात की। कथित रूप से, अपीलकर्ता ने 275 मीट्रिक टन कोयला उठाने के लिए 13 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से कुल 3575 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने दिनांक 14.5.2001 को अपीलकर्ता से उसके क्वार्टर पर पुनः मुलाकात की। उस समय भी अपीलकर्ता ने पुरानी दर पर रिश्वत मांगी। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने दिनांक 15.5.2001 को बिलासपुर के होटल सेंट्रल प्वाइंट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी लिखित शिकायत (एक्स.पी 16) प्रस्तुत की। पंच साक्षी एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) को बुलाया गया। जिन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन किया। शिकायतकर्ता और पंच साक्षियों को ट्रैप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यवाही का प्रदर्शन कर दिखाया गया। शिकायतकर्ता कुल 3575 रुपए के नोट लेकर आया था। उनके नंबर नोट किए गए और उन पर फिनोलफ्थेलिन पाउडर लगाया गया। ट्रैप से पहले की कार्यवाही का ज्ञापन (एक्स.पी 17) तैयार किया गया। इसके बाद ट्रैप दल गेवरा की ओर रवाना हुई। वहां शिकायतकर्ता और पंच साक्षी अपीलकर्ता के घर गए। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को उसके घर पर रिश्वत के पैसे दिए। संकेत मिलने पर ट्रैप दल अपीलकर्ता के पास पहुंची और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। एक कागज का टुकड़ा (एक्स.पी 24) जिस पर अपीलकर्ता ने रिश्वत के पैसे का हिसाब लिखा था, बरामद कर जप्त किया गया। बरामदगी ज्ञापन (एक्स.पी 18) तैयार किया गया। वापस आने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स.पी 25) पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन ने 9 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलकर्ता का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इंकार किया, खुद को निर्दोष बताया और झूठे आरोप लगाए जाने का कथन किया। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि शिकायतकर्ता आपराधिक मानसिकता का था। उसने अपीलकर्ता को धमकी दी थी कि वह 45 दिनों के बजाय मात्र दो दिनों में पूरा कोयला उठा लेगा। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को रोका था और इसलिए शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी थी। अपीलकर्ता ने आगे यह भी बचाव लिया कि उसने न तो रिश्वत मांगी थी और न ही उसने अवैध रिश्वत के रूप में कोई पैसा स्वीकार किया था। अपने बचाव में अपीलकर्ता ने दो साक्षियों का परीक्षण कराया है, जिनमें काशी प्रसाद (डीडब्ल्यू 1) जो गेवरा प्रोजेक्ट में लोडिंग क्लर्क थे और अविनाश शुक्ला (डीडब्ल्यू 2), जो गेवरा प्रोजेक्ट में सीनियर ओवरमैन थे।

4. विचारण पूर्ण होने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और इस निर्णय की कंडिका क्रमांक 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार दण्डादेश से दण्डित किया। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही हो गया है। विचारण न्यायालय स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन द्वारा रिश्वत की मांग के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है, जो पुष्टि किए जाने योग्य नहीं है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दूषित धन की बरामदगी सिद्ध है, लेकिन अपीलकर्ता ने उस दूषित धन को अवैध रिश्वत के रूप में स्वीकार किया था, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए भी दोषसिद्धि पुष्टि किए जाने योग्य नहीं है। पंच साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास और लोप हैं और इसलिए उनके कथन विश्वसनीय नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए, उत्तरवादी/केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही हो गया है, लेकिन दोनों पंच साक्षियों, अर्थात् एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सही रूप से दोषी ठहराया है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और साक्षियों के कथनों सहित उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सम्यक रूप से अवलोकन किया है।

8. यह प्रकरण एक लोक सेवक/अपीलकर्ता द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करके वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का है। लोक सेवक से संबंधित जघन्य अपराध उसकी सेवा समाप्ति के लिए पर्याप्त है। अपराध के तत्वों के प्रमाण का स्तर/मानक उच्च है और अभियोजन को संदेह या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश छोड़े बिना ठोस सबूत पेश करके अपराध को साबित करना आवश्यक है।

9. अवैध परितोषण के प्रकरण में अपराध को गठित करने के लिए तीन आवश्यक तत्व हैं। वे हैं (i) मांग, (ii) स्वीकृति और (iii) बरामदगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सर्वोच्च न्यायालय ने **(2009) 3 एससीसी 779 (सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "18. सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, कंडिका 2) मात्र दूषित धन की बरामदगी, जिन परिस्थितियों में इसे भुगतान किया गया है, अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब प्रकरण में मूल साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। मात्र बरामदगी ही अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के आरोप को साबित नहीं कर सकती, क्योंकि रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए भी धन स्वीकार किया कि यह रिश्वत है।"

11. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने **(2014) 13 एससीसी 55 (बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "7. जहाँ तक धारा 7 के तहत अपराध का प्रश्न है, यह विधि में स्थापित स्थिति है कि अवैध रिश्वत की मांग करना उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है और मात्र करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से

पैसे स्वीकार किए, जबकि वह जानता था कि यह रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में अभिनिर्धारित किया गया है। उदाहरण के रूप में सी.एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

8. वर्तमान प्रकरण में, जहाँ तक अभियुक्त द्वारा की गई मांग का प्रश्न है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। अभियोजन ने किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है, जो उस समय उपस्थित था जब शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को कथित रूप से पैसे सौंपे गए थे, ताकि यह साबित हो सके कि यह आरोपी द्वारा की गई किसी मांग के अनुसरण में था। जब शिकायतकर्ता ने खुद ही एलडब्ल्यू 9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (एक्सटेंशन पी–11) में जो कहा था, उससे इनकार कर दिया था, और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने कोई मांग की थी, पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य और एक्सटेंशन पी–11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त सामग्री आरोपी द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने आरोपी द्वारा की गई कथित मांग को साबित करने के तथ्य को मानने में सही नहीं थे। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री आरोपी के कब्जे से दूषित मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में इस तरह के कब्जे को आरोपी ने खुद स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा की गयी मांग के सबूत के बिना मात्र मुद्रा नोटों को अपने कब्जे में लेना और बरामद करना धारा 7 के तहत अपराध की पुष्टि नहीं करता है। उपरोक्त भी धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध के संबंध में निर्णायक होगा क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या किसी भी मूल्यवान वस्तु या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुज्ञेय उपधारणा का संबंध है, ऐसा उपधारणा मात्र धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराधों के संबंध में। किसी भी प्रकरण में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा 20 के तहत यह उपधारणा की जा सकती है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत तभी मिल सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान प्रकरण में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के तहत विधिक उपधारणा की जा सकती है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने**(2015) 10 एससीसी 152 (पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "22. अधिनियम की धारा 7 और 13 की अनिवार्य पूर्वापेक्षाओं को समझने के लिए इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक उद्घोषणा में, बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया है कि मांग के सबूत के बिना किसी अभियुक्त से मुद्रा नोटों का मात्र कब्जा और बरामदगी अधिनियम की धारा 7 के साथ–साथ धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध स्थापित नहीं करेगी। यह प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग साबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मांग का सबूत अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध के लिए एक अपरिहार्य अनिवार्यता और व्यापक जनादेश माना गया है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जो इसमें परिकल्पित एक उपधारणा की अनुमति देता है, यह माना गया है कि जबकि यह मात्र धारा 7 के तहत अपराध के लिए विस्तारित है और अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (i) और (ii)

के तहत उन पर नहीं है, यह किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर भी आकस्मिक है। अवैध परितोषण की स्वीकृति का ऐसा सबूत, इस बात पर जोर दिया गया था, मात्र तभी हो सकता है जब मांग का सबूत हो। स्वयंसिद्ध रूप से, यह माना गया कि मांग के सबूत के अभाव में, अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसी विधिक उपधारणा भी उत्पन्न नहीं होगी।

23. इस प्रकार, अवैध परितोषण की मांग का सबूत अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) (आई) और (आईआई) के तहत अपराध का मुख्य आधार है और इसके अभाव में, निस्संदेह इसके लिए आरोप विफल हो जाएगा। अवैध परितोषण के रूप में कथित रूप से किसी भी राशि को स्वीकार करना या उसकी बरामदगी करना, मांग के सबूत के बिना, इस प्रकार, अधिनियम की इन दो धाराओं के तहत आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परिणामस्वरूप, अवैध परितोषण की मांग को साबित करने में अभियोजन की विफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 या 13 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति से राशि की बरामदगी मात्र से उसे इसके तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सर्वोच्च न्यायालय ने **(2015) 11 एससीसी 314 (सी. सुकुमारन बनाम केरल राज्य)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"13. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त प्रतिद्वंद्वी विधिक तर्कों और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य के संदर्भ में, हमने अपीलकर्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष की जांच की है। अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के प्रावधानों की व्याख्या के बाद इस न्यायालय द्वारा लगातार कई प्रकरणों में माना गया है कि अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की मांग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता पीडब्लू2 से अवैध परितोषण स्वीकार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता के विरूद्ध आरोप साबित करने का भार अभियोजन पर है।"

14. सर्वोच्च न्यायालय ने **बी. जयराज** (सुप्रा) और **पी. सत्यनारायण मूर्ति** (सुप्रा) के प्रकरण के निर्णय को दोहराते हुए, **(2016) 3 एससीसी 108 (कृष्ण चंद्र बनाम दिल्ली राज्य)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि:

> "35. विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि रिश्वत के पैसे की मांग पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) के साथ धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य है। इसी विधिक सिद्धांत को इस न्यायालय ने बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55, ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एससीसी 587 और पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2015) 10 एससीसी 152 में माना है, जिस पर अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उचित रूप से विश्वास व्यक्त किया है।

पैराग्राफ 39 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "39. उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप, प्रकरण में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता जय भगवान (पीडब्लू 2) से अवैध रिश्वत की मांग के पहलू पर अभियोजन के साक्ष्य पर भरोसा किया है, हालांकि इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है और अपीलकर्ता को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। अभियोजन शिकायतकर्ता जय भगवान (पीडब्लू 2) से अपीलकर्ता द्वारा की गई रिश्वत की मांग के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है, जो पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश [कृष्ण चंद्र बनाम दिल्ली राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 2312] न मात्र त्रुटिपूर्ण है, बल्कि विधिक त्रुटि से भी ग्रस्त है और इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए।"

15. सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **(2021) 3 एससीसी 687 (एन. विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य)** में, **सी.एम. गिरीश बाबू केस** (सुप्रा) और **बी. जयराज केस** (सुप्रा) के प्रकरण के निर्णय को दोहराते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि:

"26. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि मात्र बरामदगी से ही अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन का आरोप साबित नहीं हो सकता। सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 और बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत प्रकरण पर विचार करते समय इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में यह दोहराया गया है कि आरोप साबित करने के लिए, यह उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है। अवैध रिश्वत की मांग के सबूत का अभाव और मात्र करेंसी नोटों का कब्ज़ा या बरामदगी ऐसे अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी माना गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा भी तभी की जा सकती है जब अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति सिद्ध हो जाए। यह भी काफी हद तक स्थापित है कि विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति अभिलिखित किए जाने पर आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता की प्रारंभिक उपधारणा दोगुनी हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक कंडिका 7, 8 और 9 इस प्रकार हैं: (एससीसी पृष्ठ 58–59)

> "7. जहाँ तक धारा 7 के तहत अपराध का प्रश्न है, विधि में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की माँग करना अपराध के लिए अनिवार्य शर्त है और मात्र करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए हैं, जबकि वह जानता था कि यह रिश्वत है। इस न्यायालय के कई निर्णयों में उपरोक्त स्थिति को संक्षेप में अभिनिर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, सी.एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।
>
> 8. वर्तमान प्रकरण में, जहाँ तक अभियुक्त द्वारा की गई माँग का प्रश्न है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उस समय उपस्थित किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है, जब शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को कथित रूप से धन सौंपा गया था, ताकि यह

साबित किया जा सके कि यह अभियुक्त द्वारा की गई किसी मांग के अनुसरण में था। जब शिकायतकर्ता ने स्वयं ही LW9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (एक्सटेंशन पी–11) में जो कहा था, उससे इनकार कर दिया था, और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, तो पीडब्लू1 के साक्ष्य और एक्सटेंशन पी–11 की सामग्री पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त सामग्री अभियुक्त द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत प्रस्तुत करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा की गई कथित मांग को साबित करने के तथ्य को मानने में सही नहीं थे। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री अभियुक्त के कब्जे से दूषित मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में अभियुक्त द्वारा खुद इस तरह के कब्जे को स्वीकार किया गया है। बिना मांग के सबूत के आरोपी से करेंसी नोटों को अपने कब्जे में लेना और बरामद करना धारा 7 के तहत अपराध की पुष्टि नहीं करता है। धारा 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत अपराध के संबंध में भी उपरोक्त बातें निर्णायक होंगी क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग साबित नहीं हो सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुज्ञेय उपधारणा का प्रश्न है, ऐसा उपधारणा मात्र धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत अपराधों के संबंध में। किसी भी स्थिति में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा की जा सकती है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत तभी मिल सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान प्रकरण में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के तहत विधिक उपधारणा लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

इस न्यायालय द्वारा लिया गया उपर्युक्त दृष्टिकोण अपीलकर्ता के प्रकरण का पूर्ण समर्थन करता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित प्रमुख साक्षियों के कथनों में हमारे द्वारा देखे गए विरोधाभासों के परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि और सेलफोन की मांग और स्वीकृति, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है। अभिलेख पर उपस्थित ऐसे साक्ष्य को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति अभिलिखित करना एक "संभावित दृष्टिकोण" है, ऐसे में उच्च न्यायालय का निर्णय [तमिलनाडु राज्य बनाम एन. विजयकुमार, 2020 एससीसी ऑनलाइन मैड 7098] अपास्त किए जाने योग्य है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, न्यायालयों को साक्ष्य का अवलोकन करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि दर्ज हो जाती है, तो यह समाज में व्यक्ति पर एक सामाजिक कलंक लगाता है, साथ ही प्रदान की गई सेवा पर गंभीर परिणाम भी डालता है। साथ ही यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण है या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित प्रस्थापना नहीं हो सकता है और प्रत्येक प्रकरण का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, मैं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और साक्षियों के कथनों की जांच करूंगा। वर्तमान प्रकरण में, शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। उसने यह कथन दिया है कि वह कोयला उठाने के लिए अपीलकर्ता से मिला था। अपीलकर्ता ने अपनी थोड़ी अनिच्छा व्यक्त की। इस पर, उसने सोचा कि अपीलकर्ता पैसे की मांग कर रहा है। उसने आगे यह भी कथन दिया है कि अपीलकर्ता ने रिश्वत की मांग नहीं की थी, लेकिन वह कोयला उठाने के लिए अनिच्छा व्यक्त कर रहा था। इसलिए, उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई कि अपीलकर्ता रिश्वत मांग रहा था। अपने मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ 4 में, इस साक्षी ने आगे कहा है कि अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) और वे जाल के समय अपीलकर्ता के घर गए थे। अपीलार्थी के घर में प्रवेश करने के पश्चात इस

साक्षी ने अपीलार्थी से कहा कि उसे कोयला जल्दी उठवाना है, इसलिए वह पैसे ले सकता है। चूंकि अपीलार्थी नहाने जा रहा था, इसलिए इस साक्षी ने पैसे अपीलार्थी के घर की मेज पर रख दिए और उसके पश्चात वह घर से बाहर आ गया। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जब अभियोजन द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण की गई, तो उसने कुछ बिंदुओं पर अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया। जब बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षण की गई, तो उसने पुनः बचाव पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में भी उसने नगर निगम बिलासपुर के इंजीनियर राम कुमार तिवारी के विरुद्ध शिकायत की थी, जो झूठी पाई गई। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि स्वयं को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ट्रक चालकों से लूटपाट करने के कारण उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध बिलासपुर और कटघोरा में विभिन्न आपराधिक प्रकरण लंबित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) के कथन की सूक्ष्म जांच से यह स्पष्ट है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इससे पहले भी उसने नगर निगम बिलासपुर के इंजीनियर राम कुमार तिवारी के विरूद्ध झूठी शिकायत की थी। अपीलकर्ता के संबंध में भी उसने विरोधाभासी कथन किया है, इसलिए अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इस साक्षी के संपूर्ण कथन को देखते हुए विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है और उसके कथन के आधार पर प्रारंभिक मांग स्थापित नहीं होती है।

18. जैसा कि उत्तरवादी/सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है, पंच साक्षी एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है और उनके कथनों के अवलोकन से रिश्वत की मांग स्थापित होती है। मैंने एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6)

के कथनों का अत्यंत सावधानी के साथ अध्ययन किया। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, ट्रैप के समय, एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) अपीलकर्ता के घर से बाहर था और वहीं से उसने सुना था कि घर के अंदर शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) और अपीलकर्ता के बीच बातचीत हो रही थी। शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) के साथ, अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) अपीलकर्ता के घर के अंदर गया था और अपीलकर्ता ने अंजलुस खलखो (पीडब्लू6) की उपस्थिति में शिकायतकर्ता बृजेश सिंह से रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया।

19. पंच साक्षियों एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह प्रमाणित किया है कि वे दोनों शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) के साथ अपीलकर्ता के घर गए थे। बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अपीलकर्ता के घर की घंटी बजाई। अपीलकर्ता ने अपने घर का दरवाजा खोला। बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) अपीलकर्ता के घर के अंदर चले गए और एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) बाहर ही रहे और अपीलकर्ता के घर के दरवाजे के पास खड़े रहे। एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) के कथन के अनुसार, अपने घर के अंदर वापस आने के बाद अपीलकर्ता ने कुछ हिसाब लगाया और बताया कि यह 3575 रुपये होगा। इस पर परिवादी बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने 3575 रुपए की राशि निकालकर अपीलकर्ता को दे दी। अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) ने भी उपरोक्त कथन का समर्थन किया है। एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) के कथन के अनुसार वह अपीलकर्ता के घर के बाहर खड़ा था और अपीलकर्ता के घर के प्रवेश द्वार पर पर्दा गिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4) ने घर के अंदर कथित तौर पर हिसाब–किताब करने, रिश्वत मांगने और लेने की गतिविधियों को कैसे देखा, यह उसने नहीं बताया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण के पैरा 27 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब कार्यवाही चल रही थी, तो उसने इस

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दृष्टि से कि उसे न्यायालय में साक्ष्य देने की आवश्यकता होगी, एक नोट तैयार किया था और उसने उसी नोट के अनुसार न्यायालय में अपना कथन दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षी एक हितबद्ध साक्षी है। अतः उसका कथन संदेहास्पद है। उसका कथन न्यायालय को अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए प्रेरित नहीं करता है।

20. अब मैं रिश्वत की राशि की मांग और स्वीकृति के संबंध में अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) के साक्ष्य की जांच करूंगा। इस साक्षी के न्यायालयीन कथन के अनुसार वह शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) के साथ अपीलार्थी के घर के अंदर गया। इसके बाद बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने कोयला उठाने के संबंध में अपीलार्थी से बात की। बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अपीलार्थी को बताया कि 275 मीट्रिक टन कोयला उठाया जाना है। इस पर अपीलार्थी ने एक कागज पर हिसाब करके बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) को बताया कि 3575 रुपए लगेंगे। इसके बाद बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने अपीलार्थी को 3575 रुपए दिए। अभियोजन का प्रकरण यह है कि 13 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से, शुरू में, अपीलकर्ता ने कुल 275 मीट्रिक टन कोयला उठाने के लिए 3575 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। अपनी प्रारंभिक शिकायत में, शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) ने 3575 रुपये की राशि की मांग के बारे में उल्लेख किया है और उसने ट्रैप कार्यवाही के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को इतनी राशि दी थी। इन परिस्थितियों में, ट्रैप के समय, जब, शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) के कथन के अनुसार, रिश्वत के पैसे के संबंध में उसके और अपीलकर्ता के बीच पहले से ही सब कुछ चर्चा, गणना और तय हो चुका था, अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) की उपस्थिति में, अपीलकर्ता ने फिर से 275 मीट्रिक टन कोयले की समान मात्रा के उठाने के लिए गणना की होगी और उसके बाद बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) से 3575 रुपये की रिश्वत की मांग की होगी, जो संदिग्ध प्रतीत होता है। जब रिश्वत की राशि पर पहले ही चर्चा हो चुकी थी, गणना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो चुकी थी और अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) की उपस्थितगी में तय हो चुका था, तो इसकी फिर से गणना की गई और उसके बाद मांग की गई, जो संदिग्ध प्रतीत होता है।

21. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता बृजेश सिंह (पीडब्लू 2) विश्वसनीय साक्षी नहीं है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि इस साक्षी के कथन पर प्रारंभिक मांग स्थापित नहीं होती है। एल.के. त्रिवेदी (पीडब्लू 4), जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिए उसका कथन विश्वसनीय नहीं है। अंजलुस खलखो (पीडब्लू 6) का कथन अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए न्यायालय को प्रेरित नहीं करता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्य से किसी भी तरह से रिश्वत की मांग स्थापित नहीं होती है। यद्यपि धन की बरामदगी साबित हो गई है, किन्तु अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि धन रिश्वत या अवैध परितोषण के रूप में है, यह स्थापित नहीं होता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर अपीलकर्ता संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरूद्ध विरचित किए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

सही/–
(**अरविंद सिंह चंदेल**)
न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**